

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, तहसील
बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

प्रकरण क्रमांक-773/12
संस्थित दिनांक-24.09.2012
फाई.क. 234503001702012

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला बालाघाट म.प्र.।

.....अभियोजन

विरुद्ध

रियाज खान पिता रज्जाक खान, उम्र-45 वर्ष, जाति मुसलमान,
निवासी-वार्ड नंबर-7, कम्पाउण्डरटोला, थाना बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)
हाल मुकाम-ग्राम गंडई, थाना गंडई, तह. छुईखदान,
जिला राजनादगांव (छ.ग.)

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

-::दिनांक-17.11.2017 को घोषित:-

1- अभियुक्त पर सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-4(क) का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-20.09.2012 को दोपहर करीब 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच गुजरी चौक, थाना बैहर अंतर्गत सट्टा, पर्ची/वरली मटका के माध्यम से अंको अथवा संकेतों पर रूपयों की हार जीत का दांव लगाकर जुएँ के प्रचार प्रसार में सहयोग किया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि जब ए.के. गर्ग दिनांक-20.09.2012 को थाना बैहर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे, तब उक्त दिनांक को हमराह स्टाफ 1071, 1250 के साथ भारत बंद के आव्हन पर बस स्टेण्ड में था, तभी धानेश्वर तेकाम आरक्षक क्र-791 ने सूचना दी थी कि गुजरी चौक में रियाज खान नाम का व्यक्ति अंको पर रूपये-पैसों का दांव लगाकर सट्टा-पट्टी लिख रहा है। उक्त सूचना पर मौके के गवाह अशोक परते, कैलाश परते, अरविन्द व हमराह स्टाफ के साथ अभियुक्त रियाज खान के कब्जे से एक कागज में सट्टा-पट्टी, जिसमें अंको में रूपये-पैसे के दांव लगे थे, पहले अंक-33, आखरी अंक-0 में 10 रूपये का हार-जीत का दांव लगा था, जिसका जुमला 205 रूपये, नगदी तथा एक पेन जब्त किये थे। उक्त आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक-136/12 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

3- प्रकरण में तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-4(क) का अपराध विवरण बनाकर पढ़कर सुनाया एवं समझाया था, तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-20.09.2012 को दोपहर करीब 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच गुजरी चौक, थाना बैहर अंतर्गत सट्टा, पर्ची/वरली मटका के माध्यम से अंको अथवा संकेतों पर रूपयों की हार जीत का दांव लगाकर जुएँ के प्रचार प्रचार में सहयोग किया था ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- जप्तीकर्ता अधिकारी ए.के. गर्ग अ.सा.3 का कथन है कि दिनांक-20.09.12 को वह हमराह स्टाफ के साथ बैहर बंद होने की सूचना के कारण बस स्टेण्ड ड्यूटी पर था। आरक्षक धानेश्वर की सूचना पर गवाह अशोक परते, अरविन्द ढीमर के समक्ष अभियुक्त रियाज खान को अवैध सट्टा-पट्टी लिखते पकड़ा था तथा 205/-रूपये नगदी, एक पेन प्रदर्श पी-1 के जप्तीपत्रक अनुसार जप्त किया था एवं अभियुक्त को प्रदर्श पी-2 के गिरफ्तारी पंचनामा के अनुसार गिरफ्तार किया था, जिन पर कमश. बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अरविन्द के कथन प्रदर्श पी-3, अशोक परते के कथन प्रदर्श पी-4 उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे। उक्त साक्षी ने वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पाए जाने से अपराध क्रमांक-136/12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 दर्ज की गई थी।

7- घटना के अन्य साक्षी अरविन्द अ.सा.2 का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने अभियुक्त से कोई जप्ती नहीं की गई थी एवं अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया था। प्रदर्श पी-1 के जप्तीपंचनामा, प्रदर्श पी-2 के गिरफ्तारी

पंचनामा पर क्रमशः ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने प्रदर्श पी-3 के ए से ए भाग का कथन पुलिस को बताने से इंकार किया है। इस साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो।

8— राजेन्द्र कुमार अ.सा.1 का कहना है कि वह अभियुक्त रियाज खान को जानता है। पुलिस ने साक्षी के कागज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लिये थे। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

9— ए.के. गर्ग अ.सा.3 जप्तीकर्ता अधिकारी है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने गवाह अशोक से अभियुक्त के नाम पते के संबंध में कोई तस्दीक नहीं की थी। प्रकरण में सट्टा-पर्ची संलग्न नहीं है। जप्तीकर्ता अधिकारी ने भी उनकी साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में सट्टा-पर्ची संलग्न नहीं है। जप्तीपंचनामे के स्वतंत्र साक्षी अरविन्द अ.सा.2 ने अभियुक्त से उसके सामने जप्ती होने से एवं अभियुक्त को गिरफ्तार होने से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में जप्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य स्वतंत्र साक्षी से समर्थित नहीं है। जप्तीपंचनामा के अन्य साक्षी अशोक परते अदम पता हो गया है। अभियोजन पक्ष 5 वर्षों के अंदर भी इस साक्षी का सही पता कर तामीली कराने में असफल रहा है। जप्तीकर्ता अधिकारी ने घटनास्थल पर रवानगी एवं वापसी के संबंध में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में जप्तीकर्ता अधिकारी की घटनास्थल पर रवानगी एवं वापसी प्रमाणित नहीं मानी जाती है। अरविन्द अ.सा.2 ने अभियुक्त से सट्टा-पर्ची जप्त होने एवं अन्य सामान जप्त होने एवं अभियुक्त के गिरफ्तार होने का समर्थन नहीं किया है। इस कारण उक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य की उपरोक्तानुसार की गई विवेचना एवं निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-4(क) का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-4(क) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 10— प्रकरण में धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 11— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक सट्टा पर्ची तथा एक पेन मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे एवं जप्तशुदा 205/-रुपये राजसात् किये जावें, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित।
- दिनांकित कर घोषित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला-बालाघाट